**HkÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®**

**BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ**

**®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ**

**+ÉiÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 1093**

**ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® 16 fnlEcj, 2013 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè**

**dks;yk CykWd vkoaVu dh tkap**

**1093- Jh Fkkoj pUn xgyksr %**

# D;k **dks;yk ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ ljdkj }kjk dks;yk ?kksVkys esa fyIr dksy CykWd vkoaVu ds fdrus vkns'k fujLr fd;s x;s(

¼[k½ ljdkj ds ikl fdrus dksy CykWd vkoaVu dh tkap dk;Zokgh yfEcr gS(

¼x½ ljdkj mijksDr yfEcr tkap dk;Zokgh dc rd iw.kZ dj ysxh( vkSj

¼?k½ mijksDr yfEcr tkap dk;Zokgh ds fy, fdu&fdu dks;yk [knkuksa dks uksfVl Hkstk x;k gS\

**=kÉ®**

**BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE |ÉBÉEÉ¶É¤ÉÉ{ÉÚ {ÉÉ]ÉÒãÉ)**

**(क)से(घ):** सरकार समीक्षा बैठकों में आबंटिती कंपनी द्वारा अन्त्य उपयोग संयंत्रों तथा आबंटित ब्लॉकों के विकास की समय‑समय पर मानीटरिंग तथा समीक्षा करती है । इसके अलावा, एक अंतरमंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन अपर सचिव(कोयला) की अध्यक्षता में आबंटित कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों तथा आबंटितियों के अन्त्य उपयोग परियोजना के विकास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 21.06.2012 को किया गया है तथा समूह द्वारा आबंटन रद्द करने की सिफारिश सहित सरकार को सिफारिशें की जाती हैं । जहां भी विलंब का पता चलता है, सरकार ऐसे आबंटितियों को उन्हें दिशानिर्देशों / लक्ष्य तालिका के अनुसार इन कोयला ब्लॉकों में उत्पादन आरंभ करने के लिए चेतावनी देते हुए कारण बताओ नोटिस तथा सलाह जारी करती है । तत्‍कालीन समीक्षा समिति तथा अब अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अभी तक 47 कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द कर दिया है । आबंटन रद्द किए गए 47 ब्लॉकों में से 2 ब्लॉकों को पुन: नई कंपनियों को आबंटित किया गया तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि0/दामोदर वैली कारपोरेशन लि0/झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से संबंधित 5 ब्लॉकों के मामले में आबंटन रद्द पत्रों को वापस ले लिया गया है ।

 केन्‍द्रीय जांच ब्‍यूरों (सीबीआई) ने कोयला ब्‍लॉकों के आबंटन वर्ष 2006-09 की अवधि के दौरान निजी कंपनियों को, 1993-2004 की अवधि के दौरान निजी कंपनियों को कोयला ब्‍लॉकों के आबंटन तथा सरकारी कंपनियों को कोयला ब्‍लॉकों के आबंटन के संबंध में तथाकथित अनियमितताओं के संबंध में 3 प्रारम्‍भिक जांच (पीई) दर्ज की है । सीबीआई की जांच की मानीटरिंग भारत के माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा की जाती है ।

-----